उत्तर प्रदेश शासन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

संख्या- 153/2015/2058(I)/69-1-2015-14(59)/2015

लखनऊ : दिनांक : 13 अगस्त, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा उ0प्र0 सहित 05 राज्यो में स्लम में रहने वाले लोगो के लिए जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) तथा एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) की रोकथाम के लिये वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक 2 वर्षो के लिये उत्तर प्रदेश के चयनित 10 जनपदों यथा आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर की 17 नगर निकायों की मलिन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश कार्यालय ज्ञाप संख्या-744/2015/1793/69-1-2015-14(59)/2015, दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा निर्गत किया गया है।

2. उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 अगस्त, 2015 में की गई व्यवस्था के अनुसार जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) तथा एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) की रोकथाम के लिये मलिन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की योजना के लिए राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) नामित किया जाता है।

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या-153/2015/2058(I)/69-1-2015 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, छठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
4. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, नियोजन, समाज कल्याण, नगर विकास तथा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती।
7. जिलाधिकारी, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(क्रमशः पृष्ठ-2)

न0/सी0ओ0

9. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

10. संबंधित नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

11. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

12. गार्ड फाइल।

13. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।